F-100(2)/SIHFW/Recuit-NHM/15-16/2038 दिनांक : 28.1.16

# राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
## झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

### राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत, विभिन्न पदों पर पूर्णतः अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निम्नलिखित पदों पर पूर्णतः अनुबंध पर नियुक्ति के लिये ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से भर्ती 2015–16 हेतु उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ये आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित समस्त ई–मित्र (E-mitra) कियोस्क एवं नागरिक सेवा केन्द्र (common service centre) पर दिनांक 02.02.16 से निर्धारित सेवा शुल्क देकर भरे जा सकते हैं। परीक्षार्थी आवेदन पत्र स्वयं भी कहीं से भी ऑनलाइन भर सकते हैं किन्तु निर्धारित परीक्षा शुल्क केवल ई–मित्र (E-mitra) कियोस्क के माध्यम से ही नकद अथवा ऑनलाइन जमा कराया जा सकेगा। निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत विज्ञप्ति विभाग की वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in एवं www.sihfwrajasthan.com पर दिनांक 02.02.16 से उपलब्ध रहेगी–

| क्र0सं0 | पदनाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जी.एन.एम. | 3167 |
| 2 | ए.एन.एम. | 1789 |
| 3 | लैब टेक्नीशियन | 48 |
| 4 | फार्मासिस्ट आर.बी.एस.के. | 512 |
| 5 | फार्मासिस्ट जिला चिकि. एवं सी.एच.सी. | 79 |
| 6 | फिजियोथेरेपिस्ट | 7 |
| 7 | ऑप्टोमीट्रिस्ट | 7 |
| 8 | ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट | 7 |
| 9 | नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट | 4 |
| 10 | नर्सिंग ट्यूटर | 40 |
| 11 | पी.एच.एन. | 77 |
| 12 | सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर | 31 |
| 13 | नर्सिंग ट्यूटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा | 9 |
| 14 | नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर, स्टेट नोडल सेन्टर, कोटा | 2 |
| 15 | आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी | 668 |
| 16 | होम्यो. चिकित्सा अधिकारी | 121 |
| 17 | यूनानी चिकित्सा अधिकारी | 109 |
| 18 | आयुष चिकित्सक आर.बी.एस.के. | 1024 |
| 19 | आयुष कम्पाउन्डर | 150 |

1. उपरोक्त पदों की इन रिक्तियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार की गाईडलाइन्स एवं राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय है एवं तद्नुरूप ही श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
2. आयु सीमा की गणना 01.01.2016 को आधार मानकर की जावेगी।
3. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु (आयुष चिकित्सकों को छोड़कर) 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम 10 के उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार शिथिलता देय होगी तथा आयुष कम्पाउन्डर के लिये सम्बन्धित नियमों में उल्लेखितानुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता देय होगी।
4. क्लिनिकल (आयुर्वेद, होम्योपैथ व यूनानी) आयुष चिकित्सकों एवं आयुष चिकित्सक आर.बी.एस.के. (महिला/पुरूष एवं आरक्षित/अनारक्षित) हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। इसमें कोई शिथिलता देय नहीं है।
5. आर.बी.एस.के. के तहत भर्ती किये जाने वाले आयुष चिकित्सकों के कुल पदों (1024) में से आधे पद (512) महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। आर.बी.एस.के. के तहत भर्ती किये जाने वाले आयुष चिकित्सकों के कुल पदों को आयुष पद्धति अनुसार वर्गीकरण कर अंतिम तिथि तक प्राप्त कुल सही (valid) आवेदनों के अनुपात में किया जाकर तद्नुसार श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान किया जावेगा।
6. ई–मित्र के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 13.02.16 है।

28.1.16

7. ऑनलाईन आवेदन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 12.02.16 है। इसके पश्चात् ऑनलाईन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
8. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग संभव नहीं है। अतः आवेदक फार्म व आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद में स्वयं से संबंधित प्रविष्टियां यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, मूल निवास, आवेदित पद आदि सावधानी पूर्वक सोच समझ कर सही रूप से दर्ज करावें।
9. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विभाग की विस्तृत विज्ञप्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उसमें उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप स्वयं की पात्रता सुनिश्चित कर ही आवेदन करें।
10. भर्ती के संबंध में सामान्य जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दूरभाष नंबर 0141–2225624/2706534 पर दिनांक 02.02.16 से प्राप्त की जा सकती है।
11. ये भर्तियां पूर्णतः अनुबन्ध पर केवल एक वर्ष अथवा कार्यकम/प्रोजेक्ट/परियोजना, जिसके लिये ये सेवाएं ली जा रही हैं, की अवधि जो भी कम हो के लिये की जा रही हैं। प्रोजेक्ट जारी रहने एवं संतोषप्रद सेवाएं पाये जाने पर अनुबंध की अवधि को राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध व सेवाओं की समाप्ति कभी भी कर सकने का राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार होगा।
12. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की भूमिका मात्र परीक्षा के आयोजन करने एवं मेरिट सूची जारी करने तक ही है। इसके उपरान्त भर्ती व अनुबन्ध सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकिया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/एन.एच.एम. के माध्यम से सम्पन्न की जावेगी।
13. इन भर्तियों हेतु सजायाफ्ता मुजरिम/मानसिक रोगी जिनका इलाज चल रहा हो तथा नशेड़ी पात्र नहीं होंगे। साथ ही किसी आयोग/सरकार/किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जावेंगे।
14. पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से लिया हुआ नवीनतम अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. कोई भी अभ्यर्थी मात्र आवेदन पत्र जमा करा देने से परीक्षा में भाग लेने का अधिकारी नहीं होगा। परीक्षा में भाग लेने हेतु पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित योग्यता एवं पात्रता की शर्ते पूर्ण करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र किसी भी कारण से निरस्त होने पर जमा की गई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

नोटः– उक्त विज्ञापित पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी। अभ्यर्थी फार्म भरने व शुल्क जमा कराने से पूर्व विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित योग्यता, शुल्क, भर्ती की प्रकिया व अन्य विस्तृत विवरण हेतु दिशा निर्देश विभागीय वैबसाइट पर अवश्य देख लें।

28/1/16

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान